[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE
CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

NOTIFICATION
(INCOME-TAX)

New Delhi, the 5th January 2011.

S.O. (E.)- In exercise of the powers conferred by clauses (a) and (b) of sub-section (10) of section 80IB of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), the Board hereby notifies, the Scheme for slum redevelopment prepared by the Maharashtra Government under sub-section (2) of Section 37 of the Maharashtra Regional Town Planning Act, 1966 (Mah.XXXVII of 1966) and published vide notification No. TPS-1893/973/CR-49/93A/UD-13, dated the 26th February, 2004, as a scheme for the purposes of the said section subject to the condition that any amendment to the Scheme hereby notified shall be required to be re-notified by the Central Board of Direct Taxes.

2. This notification shall be deemed to apply to projects approved by a local authority under the aforesaid scheme on or after the 1st day of April, 2004 and before 31st day of March, 2008 thereby making the incomes arising from such projects eligible for deduction under sub-section (10) of section 80IB from the Assessment Year 2005-06 onwards.

Notification No. 01/2011

[F.No.178/35/2008-ITA-I)

Raman Chopra

(RAMAN CHOPRA)
Director(ITA-1)

To

The Manager,
Government of India Press,
Ring Road, Mayapuri Industrial Area,
(Near Rajouri Garden), New Delhi.

[भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 5 जनवरी, 2011

अधिसूचना

(आयकर)

का.आ. (अ) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80 झख की उपधारा (10) के खंड (क) एवं (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बोर्ड एतदद्वारा महाराष्ट्र प्रादेशिक शहर योजना अधिनियम, 1966 (1966 का महा. XXXVII) की धारा 37 की उपधारा (2) के तहत झुग्गी पुनर्विकास के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा तैयार की गई तथा दिनांक 26 फरवरी, 2004 को अधिसूचना सं. टी पी एस- 1893/973/सी आर-49/93ए/यूडी-13 द्वारा प्रकाशित योजना को उक्त धारा के प्रयोजनार्थ एक ऐसी योजना के रूप में अधिसूचित करता है जो इस शर्त के अधीन कि योजना में एतदद्वारा अधिसूचित किसी संशोधन का केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा पुन: अधिसूचित होना अपेक्षित होगा।

2. यह अधिसूचना पूर्वोक्त योजना के तहत अप्रैल, 2004 के प्रथम दिवस अथवा उसके पश्चात तथा मार्च, 2008 के 31वें दिवस के पूर्व किसी स्थानीय अधिकारी द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं पर लागू समझी जाएगी जिससे कि धारा 80झख की उपधारा (10) के तहत कर निर्धारण वर्ष 2005-06 से आगे के लिए ऐसी परियोजनाओं से उद्भूत होने वाली आय पर कटौती की जा सकेगी।

अधिसूचना संख्या -01/2011

(फा.सं. 178/35/2008-आई टी ए-I)

र. चोपड़ा

(रमण चोपड़ा)

निदेशक (आ.क.नि.I)

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार प्रैस,

रिंग रोड मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र,

(राजौरी गार्डन के पास), नई दिल्ली।